



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022022-233661  
CG-DL-E-22022022-233661

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]  
No. 143]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 22, 2022/फाल्गुन 3, 1943  
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 22, 2022/PHALGUNA 3, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2022

सं. 11/2022-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 146(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 149 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. - (1) इन विनियमों को शिपिंग बिल (विलेख आधारित योजना से संबन्धित निर्यात परांत परिवर्तन) विनियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात दायर किए जाने वाले शिपिंग बिल्स या बिल ऑफ एक्स्पोटर्स पर ही लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ. - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, (52 का 1962) 1962 से है;

(ख) "परिवर्तन" से अभिप्राय निर्यात माल के निर्यात हो जाने के पश्चात एक या एक से अधिक विलेख आधारित योजना के तहत शिपिंग बिल्स या बिल ऑफ एक्स्पोटर्स में की गयी घोषणा में किए जाने वाले संशोधन से है।

(ग) "विलेख आधारित योजना" से अभिप्राय ऐसी किसी योजना से है जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 28 ककक की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 1 में संदर्भित विलेख के उपयोग की बात शामिल हो।

(घ) "क्षेत्राधिकार वाले मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क" से अभिप्राय ऐसे प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सीमाशुल्क स्टेशन आता हो जहां से कि निर्यात किया गया हो।

(ङ.) "क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त, सीमाशुल्क" से अभिप्राय ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सीमाशुल्क स्टेशन आता हो जहां से कि निर्यात किया गया हो।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियों जिनका इन विनियमों में प्रयोग तो हुआ हो और उनको परिभाषित न किया गया हो लेकिन उक्त अधिनियम में परिभाषित हो, का वही अर्थ होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो।

**3. कतिपय मामलों में शिपिंग बिल्स में निर्यात परांत परिवर्तन के लिए आवेदन हेतु तरीके और समय सीमा.—**(1) उक्त अधिनियम की धारा 51 की उप-धारा (1) या धारा 69, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन माल के क्लियरेंस के आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर की अवधि में तथा लिखित रूप में किया जाएगा:

बशर्ते कि क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त, सीमाशुल्क, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें उक्त निर्यात कर्ता को उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन करने से रोका गया हो और वह ऐसे कारण को लिपिबद्ध करते हुए उक्त एक वर्ष की अवधि को छः माह की और अवधि तक आगे बढ़ा सकता है:

बशर्ते और भी कि क्षेत्राधिकार वाले मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनमें उक्त निर्यात कर्ता को उक्त एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन करने से रोका गया हो और वह ऐसे कारण को लिपिबद्ध करते हुए उक्त एक वर्ष और छः माह की अवधि को छः माह और आगे बढ़ा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत उक्त एक वर्ष अवधि की संगणना में उक्त अवधि को नहीं शामिल किया जाएगा जिस अवधि के दौरान किसी न्यायालय या नयाधिकरण द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो।

(3) क्षेत्राधिकार वाले आयुक्त, सीमाशुल्क, अपने विवेक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन शिपिंग बिल में परिवर्तन करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं, यथा:—

(क) उन दस्तावेजी साक्षों के आधार पर जो कि माल के निर्यात किए जाने के समय मौजूद हों;

(ख) विनियम 4 में प्रदत्त शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए;

(ग) लेवी ऑफ फी (कस्टम्स डॉक्युमेंट्स) विनियम, 1970 के अनुसार शुल्क का भुगतान किए जाने पर।

(4) उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अधिकार क्षेत्र वाले आयुक्त, सीमाशुल्क, जहां भी ऐसा करने के लिए संभव हो, ऐसे आवेदन के दायर किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रत्येक परिवर्तन के बारे में निर्णय ले लेंगे।

**4. शिपिंग बिल्स में परिवर्तन संबंधी शर्तें और प्रतिबंध:** (1) किसी शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट में कोई भी परिवर्तन निम्नलिखित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा, यथा :-

(क) विलेख आधारित योजना की उन सभी शर्तों को पूरा किया जाना जिनके लिए उक्त परिवर्तन के लिए आवेदन किया गया है;

(ख) निर्यातक ने विलेख आधारित उन योजनाओं का लाभ ना लिया हो जिनके परिवर्तन के लिए उसने मांग की है;

(ग) किसी विनियम या अधिसूचना में, कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम में ऐसे शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के बारे में जो शर्त निर्धारित ना हो उसको ना पूरा किया गया हो;

(घ) ऐसे निर्यात के बारे में उक्त अधिनियम या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अंतर्गत निर्यातक के खिलाफ उलंघन का कोई मामला ना तो सामने आया हो और ना ही उसके खिलाफ कोई जांच चल रही हो;

(ङ) शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, जिसमें परिवर्तन किए जाने की मांग की गयी हो वही होना चाहिए जिसे उक्त विलेख आधारित योजना के संबंध में दायर किया गया हो।

[फा. सं. 450/108/2017-सीमाशुल्क IV]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department Of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd February, 2022

**No. 11/2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 146(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 149 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board, hereby makes the following regulations, namely:-

**1. Short title and commencement.** – (1) These regulations may be called the Shipping Bill (Post export conversion in relation to instrument based scheme) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These regulations shall apply to shipping bills or bills of export filed on or after the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

**2. Definitions.** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) “Conversion” means amendment of the declaration made in the shipping bill or bill of export to any other one or more instrument based scheme, after the export goods have been exported.

(c) “Instrument based scheme” means a scheme involving utilization of instrument referred to in explanation 1 to sub-section (1) of section 28AAA of the Act.

(d) “Jurisdictional Chief Commissioner of Customs” means the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner of Customs who has jurisdiction over the Customs station from where the export has taken place.

(e) “Jurisdictional Commissioner of Customs” means the Principal Commissioner or Commissioner of Customs who has jurisdiction over the Customs station from where the export has taken place.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.

**3. Manner and time limit for applying for post export conversion of Shipping Bill in certain cases. -**

(1) The application for conversion shall be filed in writing within a period of one year from the date of order for clearance of goods under sub-section (1) of section 51 or section 69 of the Act, as the case may be:

Provided that the jurisdictional Commissioner of Customs, having regard to the circumstance under which the exporter was prevented from applying within the said period of one year, may consider and decide, for reasons to be recorded in writing, to extend the aforesaid period of one year by a further period of six months:

Provided further that the jurisdictional Chief Commissioner of Customs, having regard to the circumstances under which the exporter was prevented from applying within the said period of one year and six months, may consider and decide, for reasons to be recorded in writing, to extend the said period of one year and six months by a further period of six months.

(2) For the purpose of computing the period of one year under sub-regulation (1), the period, during which stay was granted by an order of a court or tribunal, shall be excluded.

(3) The jurisdictional Commissioner of Customs, may, in his discretion, authorize the conversion of shipping bill, subject to the following, namely : –

(a) on the basis of documentary evidence, which was in existence at the time the goods were exported;

(b) subject to conditions and restrictions provided in regulation 4;

(c) on payment of a fee in accordance with Levy of fees (Customs Documents) Regulations, 1970.

(4) Subject to the provision of sub-regulation (1), the jurisdictional Commissioner of Customs shall, where it is possible so to do, decide every application for conversion within a period of thirty days from the date on which it is filed.

**4. Conditions and restrictions for conversion of Shipping Bill.** - (1) The conversion of shipping bill and bill of export shall be subject to the following conditions and restrictions, namely :-

- (a) fulfilment of all conditions of the instrument based scheme to which conversion is being sought;
- (b) the exporter has not availed benefit of the instrument based scheme from which conversion is being sought;
- (c) no condition, specified in any regulation or notification, relating to presentation of shipping bill or bill of export in the Customs Automated System, has not been complied with;
- (d) no contravention has been noticed or investigation initiated against the exporter under the Act or any other law, for the time being in force, in respect of such exports;
- (e) the shipping bill or bill of export of which the conversion is sought is one that had been filed in relation to instrument based scheme.

[F. No. 450/108/2017- Cus. IV]

MANISH KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.